न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 53/2017 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा,जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री गजानन्द महरवाल पुत्र स्व0 श्री चेतन प्रकाश महरवाल
   एफबीओ मैसर्स— खण्डेलवाल प्रोविजन स्टोर, सैंथल मोड, दौसा।
   निवासीः—न्यू कॉलोनी, बस स्टैण्ड, आंधी, तह0 जमवारामगढ, जिला जयपुर।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2) एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री जयसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 11.10.2017

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश 637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 28.2.2017 को दोपहर बाद 12:30 बजे मैसर्स खण्डेलवाल प्रोविजन स्टोर, सैंथल मोड, जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री गजानन्द महरवाल पुत्र श्री चेतन प्रकाश महरवाल उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स नहीं होना जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में एक प्लास्टिक खुले मुंह के कट्टे में करीबन 10—12 किग्रा हल्दी पाउडर (लूज) आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था, में मिलावट का शक होने पर इनमे से एक लोहे के पलटे से हिलामिलाकर नमूने की जांच हेतु 2 किग्रा हल्दी पाउडर (लूज) खरीदा। जिसे विक्रेता ने एक साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक थैली में तौलकर दिया जिनकी कीमत 160 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया जो संलग्न है।

यह है कि नमूने के लिये खरीदशुदा 2 किग्रा हल्दी पाउडर (लूज) को चार साफ सूखे एवं खाली प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर—बराबर डालकर प्रत्येक डिब्बे को ढक्कन से बन्द कर चार

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा डिब्बों पर चिपकाकर डिब्बो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर डिब्बो पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–1583 गोंद से चिपकाकर डिब्बो को एक मोट मजबूत सख्त धागे से बांधकर डिब्बो को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर डिब्बो पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व खाकी कागज पर आये करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील्ड बन्द डिब्बो को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सीलबंद डिब्बा एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद डिब्बा व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च0श्रे0क0 मुख्यालय द्वारा दिनांक 1.3.2017 खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये, जिसकी प्राप्ति की रसीद संलग्न परिवाद है।

यह है कि नमूने के दो सील बन्द डिब्बा व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 1.3.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद डिब्बा व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 2.3.2017 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (लूज) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./321/एक्ट/2017/388 दिनांक 15.3.2017 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (लूज) का नमूना नियम 2.3.14(15) खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम, 2011 का उल्लंघन (खुले मसाले बेचना) पाया गया। पत्र की प्रति संलग्न है।

अतः न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविक्षा कर दोषी को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा स्वयं बहस की गई। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि मेरी फर्म मैसर्सः– खण्डेलवाल प्रोविजन स्टोर सैंथल मोड दौसा से लिया गया हल्दी पाउडर के नमूने में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की गयी है और न ही जांच रिपोर्ट में कोई मिलावट पायी गयी है। प्रार्थी द्वारा खुला सामान भी बेच दिया जाता है। अब ऐसी गलती भविष्य में नहीं करूंगा। कृपया प्रकरण को निरस्त फरमावें।

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्र0 सं0 : 53/2017 एफ एस एस एक्ट

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./321/एक्ट/2017/388 दिनांक 15.3.2017 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (लूज) का नमूना नियम 2.3.14(15) खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम, 2011 का उल्लंघन (खुले मसाले बेचना) पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (V) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में निर्धारित है।

अतः उपरोक्त विवचेन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी (अभियुक्त) श्री गजानन्द महरवाल पुत्र स्व0 श्री चेतन प्रकाश महरवाल एफबीओ मैसर्स– खण्डेलवाल प्रोविजन स्टोर, सैंथल मोड, दौसा द्वारा खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (लूज) का विक्रय किये जाने से नियम 2.3.14(15) खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम, 2011 के उल्लंघन (खुले मसाले बेचना) का दोषी है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी (अभियुक्त) श्री गजानन्द महरवाल पुत्र स्व0 श्री चेतन प्रकाश महरवाल एफबीओ मैसर्स– खण्डेलवाल प्रोविजन स्टोर, सैंथल मोड, दौसा को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थी (अभियुक्त) श्री गजानन्द महरवाल पुत्र स्व0 श्री चेतन प्रकाश महरवाल एफबीओ मैसर्स– खण्डेलवाल प्रोविजन स्टोर, सैंथल मोड, दौसा पर 3000/– (अक्षरे तीन हजार) रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 11.10.2017 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 11.10.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/ 6595-97

दिनांकः– 11.10.2017

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री गजानन्द महरवाल पुत्र श्री चेतन प्रकाश महरवाल
   एफबीओ मैसर्स– खण्डेलवाल प्रोविजन स्टोर, सैंथल मोड, दौसा।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा